न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5510/2002/अलवर

1 रामकिशन पुत्र मैदाराम
2 घासीराम पुत्र मैदाराम सभी जाति अहीर विासी मसीत उप तहसील टपूकडा तहसीलन तिजारा जिला अलवर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 किशनलाल पुत्र सम्मन
2 दलीपसिंह पुत्र सम्मन सभी जाति अहीर निवासी मसीत तहसील तिजारा
3 मोहनलाल पुत्र गुलाब (फोत) जरिये वारिसान
3/1 सतबीर पुत्र मोहनलाल
3/2 बाबुलाल पुत्र मोहनलाल
3/3 बाबूलाल पुत्र मोहनलाल
3/4 रोहिताश पुत्र मोहनलाल
3/5 लाली पुत्री मोहनलाल सभी जाति अहीर निवासी मसीत उप तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्रीमती पूनम माथुर वकील अपीलार्थीगण
श्री जुगल किशोर पन्त वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2
श्री राजेन्द्र शर्मा वकील प्रत्यर्थी संख्या 3 के वारिसान।

निर्णय

दिनांकः.11.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 252/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.9.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण वर्तमान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक वाद सहायक कलक्टर, तिजारा के न्यायालय में इश्तकरार हक का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके

ग्राम मसीत तहसील तिजारा में मेदाराम का 1/2 हिस्सा व मोहनलाल वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा कुल 3/4 हिस्सा वादीगण का है। मेदाराम कास्वर्गवास हो चुका है एवं वादी संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण उसके वारिस हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 का इस आराजी से कोई संबंध नहीं है। वे चालाक किस्म के आदमी हैं तथा उन्होंने एक बयनामा मेदाराम व मोहनलाल का बिल एवज 5000 रूपये में दिनांक 9.11.79 को मिली भगत करके व अपने रिश्तेदारों की गवाह करके बयनामा करा लिया जो गलती है। इसी आराजी का दूसरा बयनामा भी दिनांक 9.11.79 को करा लिया जो गलत है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या 1,2 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12. 11.2001 से प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय दिनांक 20.9.2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद तभी खारिज किया जा सकता है जब वाद बार्ड बाई ला हो तथा वाद में काज आफ एक्टशन दर्शाया हुआ नहीं हो। जबकि वर्तमान वाद में ऐसा नहीं है। पूर्व वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया है जिससे रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त ही लागू नहीं होता है। पूर्व वाद में तनकियात कायम नहीं की गई है तथा साक्ष्य नहीं ली गई है एवं न ही गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित किया गया है जिससे वर्तमान वाद पर रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होता है। वादीगण का वाद विक्रय पत्र को निरस्त कराने का भी नहीं है बल्कि विक्रय पत्र को बेअसर घोषित करने का है जो राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में आता है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादी अपीलार्थीगण पूर्व वाद में तरतीबी पक्षकार थे जिससे वर्तमान वाद लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पूर्व वाद के समय रामकिशन नाबालिग था जो अब बालिग हुआ है। जिससे वाद लाने में कोई संदेह एवं कानूनी बाधा नहीं है। पूर्व वाद का निर्णय गुणावगुण पर नहीं हुआ है जिससे वर्तमान वाद कानूनी रूप से प्रतिबन्धित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1,2 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन कर समवर्ती निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पूर्व वाद अदम हाजरी में खारिज हुआ है जिसे पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही नहीं की जाकर उसी काज आफ एक्शन के आधार पर यह नया वाद लाया गया है जो बार्ड बाई ला है तथा रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि पूर्व वाद में एवं वर्तमान वाद में विवादित आराजीयात एवं पक्षकार एक ही हैं। पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है जिससे भी यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि पूर्व में इन्हीं आराजीयात के संबंध में इन्हीं पक्षकारो के मध्य एक वाद सहायक कलक्टर किशनगढबास के न्यायालय में दिनांक 2.8.83 को प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 29.8.87 को खारिज हो गया। पुनः उन्हीं आराजीयात के संबंध में उन्हीं पक्षकरान के मध्य यह नया वाद प्रस्तुत किया गया है जो रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आता है। संबंधित वाद विक्रय पत्र से संबंधित है जिसे सुनने का अधिकारी भी इस न्यायालय को नहीं होकर दीवानी न्यायालय को है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय पारित किया है।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व वाद संख्या 1/169 दिनांक 2.8.832 को सहायक कलक्टर, किशनगढबास के न्यायालय में धारा 88, 89 अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था तथा वर्तमान वाद भी उन्हीं पक्षकारों के मध्य इश्तकरार हक का प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों दावों में विवादित आराजीयात एवं पक्षकार समान हैं तथा चाहा गया अनुतोष भी एक ही है। दोनों वादों में काज आफ एक्शन भी एक ही है। यह भी स्पष्ट है कि पूर्व वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया है जिसे पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई है एवं उसके 12 वर्ष बाद यह नया वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होता है।

8. जहां तक रामकिशन के पूर्व वाद के समय नाबालिग होने के कथन का प्रश्न है तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि नाबालिग की वली उनकी प्राकृतिक माता स्वंय लक्ष्मीबाई थी। साथ ही नाबालिग बालिग कब हुए इसका सपष्ट अंकन नहीं है। अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि उनका वाद विक्रय पत्र

को निरस्त कराने का नहीं होकर बेअसर करार दिये जाने का है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि विकय्र पत्र पंजीकृत हैं तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है तो भी कर्ता खानदान पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए पैतृक सम्पति का हस्तान्तरण/ बेचान कर सकता है। ऐसे विक्रय पत्र को एब इनिशियो वोइड नहीं माना जाकर वोइडेबल माना जाता है एवं वायडेबल विक्रयपत्रों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालयों को है, राजस्व न्यायालयों को नहीं। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 20.9.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष